प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.03.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.03.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त डॉ0 कमल कुमार पुत्र स्व0 अमीचन्द निवासी महलकॉलोनी गली नं 0 बंथला 4थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब वर्ष 29 को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक संगठित गिरोह है जो अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन-लाभ अर्जित करने के लिए गर्भवती महिलाओं के भ्रूण का लिंग परीक्षण करने जैसे अन्य अपराध कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करता है। अभियुक्त के साथी पंकज पुत्र रमेश चन्द निवासी ज्योति बिहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद को दिनांक 02.03.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिए गर्भवती महिलाओं के भ्रूण का लिंग परीक्षण करने जैसे अपराध करता हूँ। जिसमे मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

डा अमीचन्द निवासी महल कमल कुमार पुत्र स्व0 0कॉलोनी गली नं बंथला 4 0थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब वर्ष 29।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर भ्रूण का लिंग परीक्षण व गैंगस्टर अधिनियम के 04 अभियोग पंजीकृत हैं अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोगों में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तारकब्जे चोरी की , मोटरसाइकिल व कुल 5105/- रूपये बरामद।

दिनांक 07.11.को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से 2024 बाहर से उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा

303 (2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 28.11.को वादी द्वारा तहरीर दी गयी 2024 कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से भिन्न भिन्न कम्पनी के मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर 305 के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 17.02.को वादी द्वारा तहर 2025ीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से 15-हजार रुपये व 20 305 अन्य सामान चोरी कर लेना जाना प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल अंतर्गत धारा (ए/(331(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटनाओं के अनावरण हेतु अलग अलग पुलिस-टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 14.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटनाओं का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों1 .आमिर पुत्र मौहम्मद उमर निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबादवर्ष 30 उम्र करीब ,, 2.आमिल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद , वर्ष 28 उम्र करीब 3.तालिब पुत्र जाकिर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद 22 उम्र करीब , वर्ष को गंगनहर की तरफ से गिरफ्तार किया गया जिनसे कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटनाओं से संबंधित कुल 5105/- रूपये व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u>

पूछताछ पर तीनों अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि हमने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर पिछले नवम्बर माह में ग्राम मोहम्मद पुर धैंदा से मौका पाकर यह मोटरसाइकिल चोरी की थी तथा रावली रोड पर स्थित मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी कर लिये थे। चोरी किये मोबाइल फोन को हमने दिल्ली के एक व्यक्ति को बेच दिया था। हमने फरवरी माह में मैंन बाजार कस्बा से एक दुकान से कुछ रूपये चोरी कर लिये थे। जो रुपए हमसे बरामद हुए हैं वे उन्ही चोरी की घटनाओं में से शेष बचे हैं बाकी रूपये हमने अपने शौक में खर्च कर दिये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1.आमिर पुत्र मौहम्मद उमर निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबादवर्ष। 30 उम्र करीब ,

2.आमिल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद वर्ष 28 उम्र करीब , 3.तालिब पुत्र जाकिर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद वर्ष 22 उम्र करीब ,

<u>आपराधिक इतिहास-पंजीकृत अभियोग/</u>

अभियुक्त आमिल के विरुद्ध थाना कविनगर पर चोरी का 01 अभियोग तथा मुरादनगर पर चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त आमिर के विरुद्ध थाना एन्टी पावर थैप्ट गाजियाबाद में विधुत अधिनियम का 01

अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मुरादनगर पर चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त तालिब के विरुद्ध थाना मसूरी पर दुष्कर्म/पोक्सो एक्ट का 01 अभियोग तथा थाना मुरादनगर पर चोरी के 03 अभियोग पंजीकत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे चोरी की मोटरसाइकिल व कुल 5105/- रूपये बरामद।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 13.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कि अभियुक्ता शान्ति देवी द्वारा वादी के घर खाने के लिए कढी देना जिसे खाने से वादी व वादी की पत्नी व परिवार के 05 बच्चों की तबीयत खराब हो जाना तथा वादी की पुत्री दुर्गेशनी उम्र 07 वर्ष की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा- 105 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता शान्ति देवी पत्नी कालीचरण निवासी माही वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 43 वर्ष को अभियुक्ता के मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्ता ने पूछने पर बताया कि वादी मेरे पडोसी हैं हम पहले भी उनको खाने को सब्जी दिया करते थे उस दिन भी मैने खाने को कढी दी थी। वादी के घर वालों ने कढी खा ली और वह सब लोग बीमार पड गये और वादी की लडकी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-

शान्ति देवी पत्नी कालीचरण निवासी माही वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 43 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग

अभियुक्ता के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।